उत्तर प्रदेश शासन
पर्यटन अनुभाग
संख्या-307/2023/आई/295944/41-1002-001-26-2023-38-**Budget**-2023
लखनऊ दिनांक 29 मार्च, 2023

शुद्धि पत्र

जनपद अयोध्या में स्थित अफीम कोठी के पर्यटन विकास हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-233/2023/आई/292272/003-41-1002-001-26-2023-38-Budget-2023, दिनांक 23.03.2023 में यथा स्थान अंकित धनराशि **रूपये 1,00,00,000.000 (रू0 एक करोड़ मात्र) के स्थान पर एतद्द्वारा धनराशि रूपये 3,00,00,000.000 (रू0 तीन करोड़ मात्र)** अंकित किया जाता है।

2- तदनुसार सन्दर्भगत शासनादेश दिनांक 23.03.2023 संशोधित समझा/पढ़ा जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

(रामेश्वर सिंह)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तादैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्री, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मण्डलायुक्त, अयोध्या।
6. जिलाधिकारी, अयोध्या।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अयोध्या।
8. प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
10. श्री दिनेश कुमार, उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया क्रमांक- 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 व 12 को अपने स्तर से आदेश की प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।
11. उप निदेशक, पर्यटन, अयोध्या।
12. परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, यूनिट-11, अयोध्या।
13. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
14. गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(रामेश्वर सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।